रजि. नं. 05/22/06/16223/22

अगस्त क्रांति मंच फाउण्डेशन

Mob. 9179335791, 9131157348 | E-Mail : augustkranti21@gmail.com

क्रमांक 01/25

दिनांक 30/12/25

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला - मऊगंज (म.प्र.)

विषय :— जिला मऊगंज अंतर्गत थाना नईगढ़ी में पदस्थ उपनिरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर को थाना नईगढ़ी से हटाकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत्।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है :—

1. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर (उपनिरीक्षक), थाना प्रभारी नईगढ़ी द्वारा अपने पदस्थापन काल के दौरान नईगढ़ी क्षेत्र की आम जनता के साथ घोर अत्याचार किया गया है तथा पद एवं दायित्व का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से 150 से अधिक फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इनके द्वारा भ्रष्टाचार एवं कानून का खुला उल्लंघन किया गया है। इन समस्त 150 से अधिक फर्जी एफ.आई.आर. में एक ही व्यक्ति अमित कुशवाहा पिता दिनेश कुशवाहा निवासी ग्राम महावीरपुर, थाना नईगढ़ी को गवाह बनाया गया है तथा थाना लौर में पदस्थ रहते हुये भी अमित कुशवाहा को ही कई एफआईआर में गवाह बनाया गया है। इसी प्रकार थाना नईगढ़ी में दारा उर्फ रमाकांत यादव पिता छोटेलाल यादव एवं अरूण तिवारी पिता गणेश तिवारी को भी 50 से ज्यादा एफ.आई.आर में गवाह बना कर फर्जी कार्यवाहियां की गई है।

2. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा थाना नईगढ़ी क्षेत्र में फर्जी तरीके से कार्यवाहियां करते हुए अपने निकटतम व्यक्ति अमित कुशवाहा को ही गवाह बनाकर पर्याप्त मात्रा में आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है तथा गलत तरीके से अवैध संपत्ति (धन) अर्जित

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-मऊगंज (म.प्र.) शिकायत क्र. 19/25 दि.

की गई है। इस संबंध में यह जांच की जाए कि इन्होंने शासन को नियमानुसार शपथ पत्र में प्रतिवर्ष कितनी आय दर्शाई है तथा वास्तव में कितना भ्रष्टाचार कर अवैध सम्पत्ति अर्जित किया है।

3. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर पहले थाना नईगढ़ी तथा तत्पश्चात थाना लौर में थाना प्रभारी रहे हैं। इसके पश्चात थाना लौर से निलंबित होने के उपरांत पुनः थाना प्रभारी के रूप में थाना नईगढ़ी में बहाली का आदेश प्राप्त कर पदस्थ हो गए। बार–बार नियम विरुद्ध तरीके से विभागीय सांठ–गांठ कर थाना नईगढ़ी का ही प्रभार प्राप्त करना अत्यंत संदेहास्पद एवं आम जनता के लिए आश्चर्य का विषय है।

4. यह कि भारतीय संविधान, साक्ष्य अधिनियम तथा शासन की नीतियों का इनके द्वारा खुला उल्लंघन किया गया है। एक ही दिन में थाना नईगढ़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर यदि चार बार कार्यवाही की जाती है, तो प्रत्येक प्रकरण में इनके द्वारा अपने चहेते अमित कुशवाहा को ही चारो एफआईआर में गवाह बनाया गया है। जिससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या एक ही व्यक्ति एक ही समय में प्रत्येक जगह की कार्यवाही में पहुच सकता था। इस प्रकार पद का दुरुपयोग कर माननीय न्यायालयों की आंखों में धूल झोंकने का गंभीर अपराध किया गया है। साथ ही माननीय न्यायालय के कीमती समय को भी फर्जी चालानी कार्यवाही के माध्यम से बर्बाद करने का कार्य किया है।

5. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर के विरुद्ध कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विभिन्न स्तरों पर नइगढ़ी क्षेत्र क जनता द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं, किन्तु आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतों को गंभीरता से न लेते हुए अनदेखी की जा रही है तथा आज भी जनता को थाना नईगढ़ी में इन्हीं को पदस्थ कर जनता को प्रताड़ित कराया जा रहा है। दिनांक 24.10.2025 एवं 29.10.2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय, पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल के कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा जोन रीवा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मऊगंज को प्रमाण सहित लिखित

शिकायतें प्रस्तुत की जा चुकी हैं, परंतु आज तक कोई कार्यवाही न किया जाना अत्यंत आश्चर्यजनक एवं समझ से परे है।

6. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा पुलिस विभाग की शासकीय वेबसाइट पुलिस सिटीजन पोर्टल में जो ऑनलाइन एफ.आई.आर. अपलोड की गई हैं, उनमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 150 से अधिक एफ.आई.आर. में इन्होंने अमित कुशवाहा तथा थाना लौर में पदस्थ रहते हुए राहुल विश्वकर्मा को गवाह बनाया है। शेष जो एफ.आई.आर. पोर्टल पर अपलोड नहीं हैं, वे इनके ही कब्जे में हैं। एफ. आई.आर नम्बर दिनांक गवाह का नाम थाना नईगढ़ी का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.	FIR No.	दिनांक	गवाह	थाना
1.	0437/22	22.12.22	अमित कुशवाहा पिता दिनेश कुशवाहा निवासी ग्राम महावीरपुर, थाना नईगढ़ी	नईगढ़ी
2.	0440/22	26.12.22	"	नईगढ़ी
3.	0441/22	28.12.22	"	नईगढ़ी
4.	0002/23	02.01.23	"	नईगढ़ी
5.	0003/23	02.01.23	"	नईगढ़ी
6.	0007/23	12.01.23	"	नईगढ़ी
7.	0018/23	21.01.23	"	नईगढ़ी
8.	0019/23	21.01.23	"	नईगढ़ी
9.	0049/23	11.02.23	"	नईगढ़ी
10.	0050/23	12.02.23	"	नईगढ़ी
11.	0054/23	19.02.23	"	नईगढ़ी
12.	0057/23	21.02.23	"	नईगढ़ी
13.	0059/23	23.02.23	"	नईगढ़ी
14.	0061/23	24.02.23	"	नईगढ़ी
15.	0063/23	25.02.23	"	नईगढ़ी
16.	0066/23	27.02.23	"	नईगढ़ी

17.	0068 / 23	28.02.23		नईगढ़ी
18.	0072 / 23	01.03.23	"	नईगढ़ी
19.	0077 / 23	04.03.23	"	नईगढ़ी
20.	0078 / 23	05.03.23	"	नईगढ़ी
21.	0115 / 23	02.04.23	"	नईगढ़ी
22.	0116 / 23	02.04.23	"	नईगढ़ी
23.	0118 / 23	11.04.23	"	नईगढ़ी
24.	0119 / 23	12.04.23	"	नईगढ़ी
25.	0120 / 23	12.04.23	"	नईगढ़ी
26.	0132 / 23	27.04.23	"	नईगढ़ी
27.	0133 / 23	27.04.23	"	नईगढ़ी
28.	0135 / 23	28.04.23	"	नईगढ़ी
29.	0150 / 23	18.05.23	"	नईगढ़ी
30.	0153 / 23	20.05.23	"	नईगढ़ी
31.	0154 / 23	20.05.23	"	नईगढ़ी
32.	0155 / 23	20.05.23	"	नईगढ़ी
33.	0156 / 23	20.05.23	"	नईगढ़ी
34.	0165 / 23	25.05.23	"	नईगढ़ी
35.	0187 / 23	16.06.23	"	नईगढ़ी
36.	0197 / 23	21.06.23	"	नईगढ़ी
37.	0194 / 23	20.06.23	"	नईगढ़ी
38.	0196 / 23	21.06.23	"	नईगढ़ी
39.	0198 / 23	21.06.23	"	नईगढ़ी
40.	0213 / 23	30.06.23	"	नईगढ़ी
41.	0214 / 23	30.06.23	"	नईगढ़ी
42.	0215 / 23	30.06.23	"	नईगढ़ी
43.	0217 / 23	02.07.23	"	नईगढ़ी
44.	0218 / 23	03.07.23	"	नईगढ़ी
45.	0219 / 23	04.07.23	"	नईगढ़ी

46.	0224 / 23	09.07.23	"	नईगढ़ी
47.	0254 / 23	24.07.23	"	नईगढ़ी
48.	0255 / 23	25.07.23	"	नईगढ़ी
49.	0256 / 23	25.07.23	"	नईगढ़ी
50.	0258 / 23	28.07.23	"	नईगढ़ी
51.	0265 / 23	03.08.23	"	नईगढ़ी
52.	0266 / 23	03.08.23	"	नईगढ़ी
53.	0267 / 23	03.08.23	"	नईगढ़ी
54.	0268 / 23	04.08.23	"	नईगढ़ी
55.	0269 / 23	04.08.23	"	नईगढ़ी
56.	0270 / 23	04.08.23	"	नईगढ़ी
57.	0271 / 23	04.08.23	"	नईगढ़ी
58.	0277 / 23	16.08.23	"	नईगढ़ी
59.	0279 / 23	18.08.23	"	नईगढ़ी
60.	0282 / 23	20.08.23	"	नईगढ़ी
61.	0298 / 23	20.08.23	"	नईगढ़ी
62.	0299 / 23	29.08.23	"	नईगढ़ी
63.	0301 / 23	31.08.23	"	नईगढ़ी
64.	0302 / 23	01.09.23	"	नईगढ़ी
65.	0304 / 23	02.09.23	"	नईगढ़ी
66.	0306 / 23	03.09.23	"	नईगढ़ी
67.	0319 / 23	09.09.23	"	नईगढ़ी
68.	0320 / 23	09.09.23	"	नईगढ़ी
69.	0321 / 23	10.09.23	"	नईगढ़ी
70.	0324 / 23	12.09.23	"	नईगढ़ी
71.	0325 / 25	13.09.25	"	नईगढ़ी
72.	0331 / 25	16.09.25	"	नईगढ़ी
73.	0343 / 23	20.09.23	"	नईगढ़ी
74.	0347 / 23	24.09.23	"	नईगढ़ी

75.	0349 / 23	25.09.23	''	नईगढ़ी
76.	0363 / 23	07.10.23	''	नईगढ़ी
77.	0372 / 23	10.10.23	''	नईगढ़ी
78.	0373 / 23	11.10.23	''	नईगढ़ी
79.	0376 / 23	12.10.23	''	नईगढ़ी
80.	0380 / 23	14.10.23	''	नईगढ़ी
81.	0381 / 23	16.10.23	''	नईगढ़ी
82.	0390 / 23	21.10.23	''	नईगढ़ी
83.	0399 / 23	29.10.23	''	नईगढ़ी
84.	0401 / 23	30.10.23	''	नईगढ़ी
85.	0402 / 23	31.10.23	''	नईगढ़ी
86.	0407 / 23	03.11.23	''	नईगढ़ी
87.	0408 / 23	04.11.23	''	नईगढ़ी
88.	0411 / 23	07.11.23	''	नईगढ़ी
89.	0031 / 24	31.01.24	''	नईगढ़ी
90.	0032 / 24	31.01.24	''	नईगढ़ी
91.	0037 / 24	02.02.24	''	नईगढ़ी
92.	0038 / 24	02.02.24	''	नईगढ़ी
93.	0044 / 24	11.02.24	''	नईगढ़ी
94.	0092 / 25	09.03.25	''	नईगढ़ी
95.	0127 / 25	10.04.25	''	नईगढ़ी
96.	0323 / 25	19.07.25	''	नईगढ़ी
97.	0331 / 25	20.07.25	''	नईगढ़ी
98.	0383 / 25	21.08.25	''	नईगढ़ी
99.	0419 / 25	22.09.25	''	नईगढ़ी
100.	0498 / 25	07.11.25	''	नईगढ़ी
101.	0501 / 25	10.11.25	''	नईगढ़ी
102.	0530 / 25	30.11.25	''	नईगढ़ी
103.	0532 / 25	30.11.25	''	नईगढ़ी

104.	0127 / 24	14.05.24	"	थाना लौर
105.	0190 / 24	17.07.24	"	थाना लौर
106.	0135 / 24	19.05.24	"	थाना लौर
107.	0044 / 23	06.02.23	दारा उर्फ रमाकांत यादव पिता छोटेलाल यादव	नईगढ़ी
108.	0082 / 23	06.03.23	"	"
109.	0083 / 23	06.03.23	"	"
110.	0084 / 23	06.03.23	"	"
111.	0085 / 23	06.03.23	"	"
112.	0193 / 23	19.06.23	"	"
113.	0216 / 23	02.07.23	"	"
114.	0232 / 23	12.07.23	"	"
115.	0245 / 23	21.07.23	"	"
116.	0251 / 23	23.07.23	"	"
117.	0252 / 23	23.07.23	"	"
118.	0315 / 23	06.09.23	"	"
119.	0322 / 23	11.09.23	"	"
120.	0333 / 23	17.09.23	"	"
121.	0041 / 25	01.02.25	अरूण तिवारी एवं अमित कुशवाहा	"
122.	0199 / 25	21.06.25	"	"
123.	0027 / 23	30.01.23	"	"
124.	0032 / 23	31.01.23	"	"
125.	0033 / 23	31.01.23	"	"
126.	0321 / 25	19.07.25	"	"
127.	0322 / 25	19.07.25	"	"
128.	0064 / 24		राहुल विश्वकर्मा पिता बद्री विश्वकर्मा निवासी ग्राम आटी थाना लौर जिला मऊगंज	थाना लौर

			म0प्र0	
129.	0069 / 24		"	"
130.	0071 / 24		"	"
131.	0075 / 24		"	"
132.	0079 / 24		"	"
133.	0081 / 24		"	"
134.	0083 / 24		"	"
135.	0084 / 24		"	"
136.	0085 / 24		"	"
137.	0086 / 24		"	"
138.	0087 / 24		"	"
139.	0092 / 24		"	"
140.	0100 / 24		"	"
141.	0102 / 24		"	"
142.	0103 / 24		"	"
143.	0105 / 24		"	"
144.	0106 / 24		"	"
145.	0108 / 24		"	"

7. यह कि श्री जगदीश सिंह ठाकुर ने फर्जी कार्यवाही करते हुये एफ.आई.आर. क्रमांक 0323 / 25 दिनांक 19.07.2025 को अमित कुशवाहा को फर्जी कार्यवाही में मुखबिरी तथा गवाह के रूप में लिखा है और एफ.आई.आर.क्रमांक 0331 / 25 दिनांक 20.07.2025 के माध्यम से अमित कुशवाहा स्वयं थाना नईगढ़ी में फरियादी है कि मेरा एक्सीडेन्ट 02.07.2025 को कर दिया गया था। मैं अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 20.07.2025 को रिपोर्ट लिखाने आया हूँ और यह कायमी खुद जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा की जाती है फर्जी कार्यवाही करते समय थाना प्रभारी द्वारा यह नही विचार किया गया कि जब तुम कल तक बीमार थे थाने रिपोर्ट लिखाने नही आ सकते थे तो 19.07.25 को मुखबिर एवं गवाह कैसे बने। किन्तु अमित कुशवाहा और जगदीश सिंह ठाकुर आपस में मिल कर क्षेत्र की आम जनता को प्रताड़ित कर खूब भ्रष्टाचार किये है एवं फर्जी कार्यवाही में शामिल थे जो कि एक गम्भीर अपराध है।

8. यह कि शिकायत के साथ समस्त एफ.आई.आर. की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं। उपनिरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा किया गया यह कृत्य न केवल पद एवं दायित्व का घोर उल्लंघन है, बल्कि आम जनता के साथ किया गया गंभीर अपराध भी है। थाना प्रभारी की इस प्रकार की फर्जी कार्यवाहियों से आम जनता अत्यंत प्रताड़ित एवं दुःखी है जिससे व्यापक लोक हित में इन्हे थाना नईगढ़ी से हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है जो कि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

अतः श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि उपनिरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर को तत्काल थाना नईगढ़ी से हटाते हुए उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तथा नियम विरुद्ध एवं झूठी कार्यवाही करने के आरोप में जॉच कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराने की कृपा की जाए।

संलग्न :–

1. थाना नईगढ़ी में फर्जी तरीके से की गई समस्त एफ.आई.आर. की पुलिस की शासकीय वेबसाइट म0प्र0 पुलिस सिटिजन पोर्टल से प्राप्त प्रतियां।

दिनांक :– 30/12/2021

आवेदक

कुंजबिहारी तिवारी
संयोजक
निवासी ग्राम पोस्ट रामपुर थाना नईगढ़ी
जिला मऊगंज म0प्र0
मोबा.नं. 9179335791